

नियम 104 : न्यायपीठ के किसी एक सदस्य द्वारा आदेश का सुनाया जाना

- (1) न्यायपीठ का कोई भी सदस्य न्यायपीठ के लिए और उसकी ओर से आदेश सुना सकेगा।
 - (2) जब इस नियम के अधीन कोई आदेश सुनाया जाता है, तो न्यायालय अधिकारी आदेश पत्र में यह नोट करेगा कि अध्यक्ष या सदस्यों से मिलकर बनी न्यायपीठ का आदेश न्यायपीठ की ओर से खुले न्यायालय में सुनाया गया था।
-